

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1220 / गोपनीय / 2017  
दो-२-१ / 2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदरथ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डॉ० शिव कुमार मिश्रा	सागर	सिवनी	सिवनी	सिविल जिला, सिवनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर।
2	श्री सुशील कुमार शर्मा	सिवनी	सागर	सागर	सिविल जिला, सागर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे के स्थान पर।
3	श्री भरत सिंह औहरिया	रतलाम	भिण्ड	भिण्ड	सिविल जिला, भिण्ड। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री तारकेश्वर सिंह के स्थान पर।

क्रमांक 1221 / गोपनीय / 2017  
दो-२-१ / 2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस एकट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा०-१-२-९०-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा०१-२-९०/२१-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.१-२-९०-२१/ब(एक)1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदरथ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी	मंदसौर	इंदौर	इंदौर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती रेणुका कंचन के स्थान पर।	इंदौर
2	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	रीवा	छतरपुर	छतरपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर०सी०एस० बिसेन के स्थान पर।	छतरपुर
3	श्री दिलीप कुमार नागले	बिजावर	सागर	सागर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से डॉ शिव कुमार मिश्रा के स्थान पर।	सागर
4	श्री दीपक गुप्ता	मण्डला	रतलाम	रतलाम	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री बी०एस० औहरिया के स्थान पर।	रतलाम
5	श्रीमती इन्द्रा सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जी० पी० अग्रवाल के स्थान पर।	खण्डवा

क्रमांक 1222 / गोपनीय / 2017  
दो-२-१ / 2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक ०७ अक्टूबर, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एकट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदरथ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके

नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री गजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्री अमनीस कुमार वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक -1, इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	इंदौर	इंदौर	इंदौर	बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3.	श्री महेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक -2, इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	इंदौर	इंदौर	इंदौर	दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4.	श्री आलोक अवस्थी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	भोपाल	भोपाल	भोपाल	बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
5.	श्री रामानन्द चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर।	इंदौर	भोपाल	भोपाल	इकीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।

टिप्पणी :- 1. श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी,

2. श्री रामानन्द चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायाल, इंदौर,  
का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

चच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

१(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 1223 / गोपनीय / 2017  
दो-२-१/2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक ०७ अक्टूबर, 2017

### प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3. रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, 76, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया श्रीमती इन्द्रा सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा, श्री गजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन, श्री अमनीस कुमार वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-1, इंदौर, श्री महेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2, इंदौर एवं श्री आलोक अवस्थी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 13.10.2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
4. महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6.
1. डॉ० शिव कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, सागर,
  2. श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी,
  3. श्री भरत सिंह औहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, रतलाम,
  4. श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मंदसौर,
  5. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा,
  6. श्री दिलीप कुमार नागले, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजावर जिला छतरपुर,
  7. श्री दीपक गुप्ता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला,
  8. श्रीमती इन्द्रा सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा,
  9. श्री गजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन
  10. श्री अमनीस कुमार वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-1, इंदौर
  11. श्री महेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2, इंदौर
  12. श्री आलोक अवस्थी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-1, भोपाल
  13. श्री रामानन्द चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायाल, इंदौर
- को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 13.10.2017 तक अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर / सिवनी / रतलाम / रीवा / छतरपुर / मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 13.10.2017 तक अवश्यमेव ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
8. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड / इंदौर / खण्डवा / उज्जैन / भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. कार्यालय अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा / उज्जैन / इंदौर / भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, \_\_\_\_\_ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायाल, इंदौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

A handwritten signature in black ink, followed by the date 7.10.17 written in a stylized manner.

- 12 रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :—
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०-१, जजेस एनकलेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई०एल)/ (न्यायिक-१)/ (न्यायिक-२)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (7) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 रजिस्ट्रार (ई०)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्याइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-१)/ (न्यायिक-२), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 16 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 17 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 18 डिप्टी रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 19 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।



(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल  
१०.१७